न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 61 / 2024

दायर दिनांक : 10 / 12 / 2024

निर्णय दिनांक : 29 / 09 / 2025

उनवान

1 बंशीलाल पुत्र भगवानलाल ढोली निवासी बूल का खेडा तहसील भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1 पारसमल पिता रामरतन खटीक निवासी बूल का खेडा तहसील भूपालसागर
2 मंजू पत्नी महावीर प्रसाद वीरवाल निवासी बूल का खेडा तहसील भूपालसागर
3 अणछी पुत्री छोगा गाडरी निवासी बूल का खेडा तहसील भूपालसागर
4 शकरलाल पिता गंगाराम रेगर निवासी बूल का खेडा तहसील भूपालसागर
5 रामचंद्र पिता मांगीलाल रेगर निवासी बूल का खेडा तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

<u>राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956</u>

उपस्थिति : 1.श्री पवन जयसवाल, अधिवक्ता प्रार्थी
2 श्री सुरेश बापना, अधिवक्ता अप्रार्थी

<u>: : निर्णय : :</u>

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 128 के अंतर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बूल पटवार हल्का बूल में प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजियात स्थित है। जो हाल जमाबंदी दर्ज खाता सं 160 से दर्ज आराजी नंबर 1149 रकबा 0.18 है0 आराजी नं 1150 रकबा 0.1065 है0 आराजी न0 1151 रकबा 0.01 है. आराजी नं 1152 रकबा 0.03 है. स्थित है। सबूत के लिए हाल जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। यह कि उक्त आराजीयात के चारो तरफ पत्थरगढी निशानात कायम नही होने की वजह से प्रार्थी को अपनी आराजियात के चारो तरफ डोल लगाने, थुहर बाड करने, वृक्ष लगाने, तार[illegible] लगाने, आराजियात को जाने लेने आदि में परेशानी रहती है जिससे प्रार्थी अपनी उक्त आराजियात के चारो तरफ पुख्ता पत्थरगढी निशानात कायम किए जाने की प्रार्थना करता है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थीगण को समन नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी स0 1 2 3 वाद सूचना उपस्थित नही आने से इनके विरूद्ध दिनांक 2[illegible]9.2025 को कार्यवाही एकतरफा की गई। अप्रार्थी सं. 4 व 5 की ओर से वकील श्री सुरेश बापना ने अधिकार पत्र व जवाब पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.10.06 14:52:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी न्यायालय भूपालसागर, जिला-चित्तौड़गढ़

Mahesh
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर,जि.चित्तौड़गढ़ (राज.)

वकील उभयपक्ष की बहस अंतिम बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए पत्थरगढी आदेश किए जाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र वर्णित आ0स0 1150 के संबंध में श्रीमान् सिविल न्यायाधीश कपासन जिला चित्तौडगढ में प्रकरण दर्ज होकर उक्त प्रकरण में वादी का वाद आवेदित भूमि आवासीय रूपांतरित होकर कयशुदा होने से प्रतिवादीगण को कोई दखलअन्दाजी नहीं की जाने के निर्देश के साथ स्वीकार किया है। अतः प्रार्थना पत्र में पत्थरगढ़ी हेतु आवेदित भूभाग आवासीय रूपांतरित होने से पत्थरगढ़ी का आवेदन निरस्त किया जावे। पुष्टि में माननीय न्यायालय के निर्णय की प्रति प्रस्तुत की है।

हमने पत्रावली एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया, दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील उभयपक्ष की ओर से अधिवक्ताओं द्वारा की गई बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया एवं तथ्यों पर गहनतापूर्वक विचार किया। प्रार्थी द्वारा पत्थरगढ़ी हेतु आवेदित भूमि में आंशिक भूभाग आवासीय रूपांतरित होकर विक्रयशुदा होने से भी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 128 के अन्तर्गत स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं वकील उपभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 128 न्यायसंगत नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला-चित्तौड़गढ़

Mahesh

(महेश गगोरिया)
सहायक कलेक्टर (एवंज.)
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.10.06 14:52:17 IST
Reason: SelfAttested